डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः–R/313/2018
दिनांकः–31/10/2018

सेवा में,

1. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष,
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध, डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः– अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवगण के साथ सम्पन्न बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–1011/सत्तर–1–2018 दिनांक 31.10.2018 (संलग्न) के माध्यम से शासन में कतिपय 06 बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की आख्या मांगी गयी है।

बिन्दु संख्या–01 पाठ्यक्रमों को चरणवद्ध पूर्ण कराने हेतु माहवार कार्यक्रम, के सम्बंध में आवश्यक है कि संस्थान/विभाग/महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/विषयों को माहवार पाठयक्रम बनाकर के प्रत्येक दशा में उसका पालन इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में 180 दिन में पूर्ण किया जाये। इसके अतिरिक्त अन्य पाठयक्रम जो किसी केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर संचालित संस्था यथा **NCTE, MCI, BCI, DCI** इत्यादि द्वारा विनियमित होते है तो सम्बन्धित विनियमन में प्रवाधानो/नियमों के अनुसार ही न्यूनतम अध्ययन दिवस पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना आवश्यक है। यदि किसी दशा में न्यूनतम अध्ययन दिवस पूर्ण न हो रहे हो तो अतिरिक्त कक्षायें भी संचालित करायी जा सकती है।

बिन्दु संख्या–3 सेंटर आफ एक्सीलेंस के सम्बंध में शासन द्वारा प्रस्ताव मांगा गया है। इस सम्बंध में आपसे अपेक्षा है कि सेंटर आफ एक्सीलेंस के सम्बंध में यदि कोई प्रस्ताव हो तो विश्वविद्यालय को एक सप्ताह के भीतर प्राप्त कराया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सहा॰ कुलसचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. एजेन्सी (2015–18)
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

संख्या–1011 /सत्तर–1–2018–

प्रेषक,

हरेन्द्र कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2018

विषयः– अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवगण के साथ सम्पन्न बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवगण के साथ सम्पन्न बैठकों में लिये गये निर्णय के निम्नांकित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की आख्या सहित दिनांक 01–11–2018 को 11:45 बजे अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें :–

(1) पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु माहवार कार्यक्रम।

(2) शोध गंगा पोर्टल पर पीएच0डी0 तथा थीसिस अपलोड करने हेतु दिनांक 15–10–2018 की तिथि निर्धारित की गयी थी। तत्क्रम में कृत कार्यवाही की आख्या।

(3) सेंटर आफ एक्सीलेंस के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषण की स्थिति।

(4) अहिल्याबाई योजना के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना।

(5) आई0जी0आर0एस0/विधान मण्डल के प्रकरण/पेंशन एवं सेवानिवृत्तिक देयों के प्रकरण के निस्तारण की स्थिति।

(6) उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित प्रकरण।

भवदीय,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव

s.o/g.o-2/c-3